संख्या– 194 /XXVII(1)/2012

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
अपर मुख्य सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1

देहरादून, दिनांकः 30 मार्च, 2012

विषय :–माह मार्च एवं अप्रैल, 2012 के वेतन आहरण के सम्बन्ध मे।

महोदय,

शासनादेश संख्या–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में 01 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक की अवधि हेतु स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर इस आशय से रखी गयी है कि वचनबद्ध मदों की धनराशि 31 मार्च, 2012 तक आहरण–वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रख दी जाय, जिससे माह मार्च, 2012 के वेतन/पेंशन आहरण में कोई असुविधा न हो।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मार्च, 2012 का वेतन जो अप्रैल, 2012 में देय है तथा अप्रैल, 2012 के वेतन, पेंशन/सेवानिवृत्तिक लाभ का आहरण कोषागारों द्वारा लेखानुदान में दर्शाये गये सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत बजट आवंटन की प्रत्याशा में आवंटित कर दिया जाय। सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी तत्काल सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी से लेखानुदान की अवधि (01 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक) का बजट प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे अन्य वचनबद्ध मदो में समय से भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। नियमित बजट जारी होने पर आहरित धनराशि समायोजित कर ली जाय।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
अपर मुख्य सचिव, वित्त

April 10 Doc

<u>संख्या 194 (1)/XXVII(1)/2012 एवं तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अनुभाग, सचिवालय, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।

आज्ञा से

(डा0 एम0 सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त

निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड
23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांकः 07/001/नि0अधि0/नि0को0वि0से0/2012

दिनांक–02 ~~मार्च~~ अप्रैल 2012

प्रतिलिपि समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र सेमवाल)
अपर निदेशक।